

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन  
पाँचवीं मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल

कमांक 430 / 526 / आउशि / शा-7 / अनु0-बजट /

भापाल, दिनांक 11-12-08

प्रति,

संबंधित प्राचार्य/शिक्षाधिकारी,  
शासकीय..... महाविद्यालय (अग्रणी),  
..... मध्यप्रदेश

विषय- वित्तीय वर्ष 2008-09 में शैक्षणिक स्टाफ को दिनांक 1.1.96 से देय यू.जी.सी. वेतनमान पर एरियर्स पर ब्याज की राशि भुगतान करने बाबत ।  
संदर्भ- इस कार्यालय का पत्र कमांक- 3201/526/आउशि/बजट-अनु./08 दि. 11.12.08

उपर्युक्त विषय में, 1.1.96 से देय यू0जी0सी0 वेतनमान पर एरियर्स राशि पर ब्याज के भुगतान के संबंध में, माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 25 जुलाई 2007 के परिपालन में, अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ को दिनांक 1.1.96 से देय यू0जी0सी0 वेतनमान के अंतर्गत भुगतान कुल एरियर्स राशि के 80 प्रतिशत राशि पर दिनांक 23.12.99 से 31.3.2003 तक 9 प्रतिशत साधारण ब्याज दर से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु संलग्न सूचि अनुसार अशासकीय महाविद्यालयों के नाम के समक्ष दशयि अनुसार कुल राशि रू0 7,07,596/- (रू0 सात लाख, सात हजार, पांच सौ छियानवे ) का बजट आवंटन एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

*As per*

1. संलग्न सूचि के अनुसार अशासकीय महाविद्यालयों के समक्ष जारी बजट राशि के भुगतान करने के पूर्व सुनिश्चित करें कि देय एरियर्स राशि एवं उस पर निर्धारित किया गया ब्याज की गणना सही है, जिस राशि का भुगतान संबंधित को किया जा रहा है उसे भुगतान की पात्रता है ।
2. आवंटित अनुदान राशि से भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संबंधित शैक्षणिक स्टाफ शासन द्वारा मान्य/अनुमोदित/पूर्णकालिक पद पर कार्यरत रहे हों । यदि किसी कारण से अधिक भुगतान पाया जाता है तो व वसूली योग्य होगा । इस संबंध में संबंधित से न्दकमतजांपदह (अनुबंध पत्र) अवश्य प्राप्त करें ।
3. आवंटित राशि का शीघ्र आहरण कर संबंधितों को भुगतान करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें ।
4. उपरोक्त आवंटन इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 11.12.08 के परिप्रेक्ष्य में अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों से प्राप्त जानकारी (गणना पत्रक) के आधार पर किया गया है ।

निरन्तर..


...2...

5. किसी भी प्रकार अनियमित भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षाधिकारी एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महावि० के प्राचार्य की होगी ।

6. उपरोक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखे/महालेखाकार /वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं उच्च शिक्षा के लेखा परीक्षण दलों के लिये उनके विवेक अनुसार जाच हेतु खुले रहेंगे ।

7. आवंटित राशि का व्यय संलग्न कम्प्यूटर शीट के अनुसार दर्शित शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।



(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश


713

दस्तावेज संख्यांक 431 / 526 / आउशि/शा-7/अनु0-बजट/09

भांपाल, दिनांक 12-03-09

प्रतिलिपि-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, विधि विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा के निज सहायक ।
6. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
7. वि०क० अधिकारी, न्यायालयीन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल ।
8. संबंधित प्राचार्य,..... अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय,..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
9. संबंधित कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।



(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

713

Office of the Commissioner Higher Education Govt of M.P. Satpura Bhawan Bhopal

Name of District	Name of the aided colleges	Name of Education Officer	Name of Treasury	Code No.	Demand	already paid	To be paid
2	3	4	5	6	7	8	9
Bhopal	Ravindra College, Bhopal.	Govt. Hamidia College, Bhopal	Vallabh Bhawan, Bhopal	523802005	403505	46000	357505
Bhopal	Kasturba Girls College,	Govt. Hamidia College, Bhopal	Vallabh Bhawan, Bhopal	523802005	1102777	1053000	49777
Burhanpur	Sewa Sadan College, Burhanpur	Govt. College, Nepanagar	Treasury, Burhanpur		1506282	1099000	407282
	<b>Total</b>				1059314	759000	300314
	<b>Grand Total</b>				1059314	759000	300314
					2565596	759000	707596

*Duivedi*